



## परिशिष्ट -2

कृपया नियम 7 (एफ) देखें

“उद्यान विभाग सामग्री/ उपदान सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र”

योजना का नाम

उद्यान कार्ड संख्या

मैं  सुपुत्र/सुपुत्री श्री  जाति  वर्ग

गाँव  डाकघर  ग्राम पंचायत  विकास खंड

जिला  का/की निवासी हूँ तथा मेरे पास

बीगा  बिस्वा भूमि है इसमें से  बीगा बिस्वा भूमि फलोद्यान के अधीन हैं!

मुझे निमंलिखित उद्यान सामग्री /उपदान सहायता की आवश्यकता है!अतः मुझे निमंलिखित उद्यान की

सामग्री पर /उपदान/सहायता देने की कृपा करें :

क्र. स.	सामग्री/ उपदान सहायता का विवरण	मात्रा	दर	कुल राशि	उपदान राशि	प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा सिफारिश की गई मात्रा/ उपदान सहायता
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

हस्ताक्षर प्रार्थी

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी  सुपुत्र/सुपुत्री श्री  गाँव

सामान्य/लघु/ सीमान्त/अनुसूचित/ जनजाति/ आई.आर.डी.पी./ पिछड़े वर्ग का है तथा उसके पास

बीगा  बिस्वा भूमि है ! अतः उपरोक्त कालम नं० 7 में अंकित

सामग्री पर उपदान /उपदान सहायता देने की सिफारिश की जाती है !

पटवारी हल्का

हस्ताक्षर प्रधान ग्राम पंचायत

मोहर

(कार्यालय प्रयोग हेतु )

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी को निम्नलिखित उद्यान सामग्री/उपदान सहायता दी गई है :

क्र. स.	सामग्री/ उपदान सहायता का विवरण	मात्रा	दर	कुल राशि	उपदान /उपदान की सीमा	उपदान / सहायता राशि(रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

हस्ताक्षर उप निदेशक उद्यान /

हस्ताक्षर वितरणकर्ता/उद्यान प्रसार अधिकारी

विषय वस्तु विशेषज्ञ

उद्यान विकास अधिकारी

जिलाहि०प्र०

प्रसार वृत्त/ विकास खण्ड

(नोट: 5000 /- रूपये से अधिक मूल्य का उपदान /उपदान सहायता प्राप्त करने हेतु नियमानुसार बाण्ड फार्म प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा )